ID-199/17

ज० सू० अ० मामला/त्वरित

कार्यालय उपायुक्त पुलिस एवं जन सुचना अधिकारी, सामान्य प्रशासन,

कार्यालय पता – आठवा तल, एम०एस०ओ० बिल्डिंग, पुलिस मुख्यालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

सं./चौबीस/29/विशेष/ID-4142/2017/ 29816 /ज०सू०अ० सैल/पुलिस मुख्यालय/दिनांक 9/8/17

सेवा में,

जन सुचना अधिकारी,
3rd Bn.DAP, विकासपुरी,
दिल्ली पुलिस, दिल्ली/नई दिल्ली

Dy. No. 12799
Date 10/8/17

विषय: श्री मुकेश सैनी, 40, भोगल लेन, भोगल, नई दिल्ली के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए दाखिल आवेदन पत्र को सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) में स्थानान्तरित करने के सन्दर्भ में ।

महोदय/महोदया,

सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के तहत संलग्न आवेदन पत्र दिनांक 02.08.17 जो कि श्री मुकेश सैनी, 40, भोगल लेन, भोगल, नई दिल्ली के द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 07.08.17 को उप सचिव, (RTI)/PIO, मुख्य मंत्री कार्यालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली, A-315, 3rd लेवल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली के पात्र संख्या.F.1/CM/RTI/2017/ID-952/44920, dated 04.08.17 के द्वारा प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन करने पर यह पाया गया कि इस पत्र की विषय वस्तु का संबंध आपके कार्यालय से है । इसलिए आवेदक के आर०टी०आई० आवेदन पत्र की एक प्रतिलिपि सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के तहत इस आशय से आपको स्थानान्तरित की जा रही है कि आप अपने कार्यालय से सम्बंधित वांछित सूचना निर्धारित सूचना समय-अवधि के दौरान सीधे आवेदक को भेजने का कष्ट करेंगे। इस कार्यालय से सम्बंधित सूचना सीधे आवेदक को प्रदान की जाएगी ।

यदि वांछित सूचना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है तो कृपया आवेदक के आवेदन पत्र को सबसे निकटतम सम्बंधित जन सूचना अधिकारी को स्थानान्तरित कर दे ।

भवदीय,

[मीना नायडू]
सहायक जन सूचना अधिकारी,
पुलिस मुख्यालय, दिल्ली पुलिस
फ़ोन-23762616 एक्स्ट.30079

संलग्न-यथाउपरोक्त

सं./चौबीस/29/विशेष/ID-4142/2017/ /ज०सू०अ० सैल/पुलिस मुख्यालय/दिनांक

प्रतिलिपि –

1.श्री मुकेश सैनी, 40, भोगल लेन, भोगल, नई दिल्ली को सूचनार्थ व् यदि आपको उपरोक्त जन सूचना अधिकारी से 30 दिन की समय-अवधि के अन्दर जवाब नहीं मिलता या आप उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होते तो कृपया अपनी प्रथम अपील उसके प्रथम अपीलीय अधिकारी के सम्मुख दायर करें ।

[मीना नायडू]
सहायक जन सूचना अधिकारी,
पुलिस मुख्यालय, दिल्ली पुलिस
फ़ोन-23762616 एक्स्ट.30079

966/RTI Cell/3rd Bn
10/8/17

DCP-III Bn.	
ACP/HQ	
Insp./Admn.	
Head Clerk	
Branch	RTI cell

No. 1417-23 /RTI Cell/3rd Bn DAP, dt 10/08/17
Copy for sending reply within 2 days to :- I/c Central Jail 2 All I/c lock-up.

(9)

BY SPL. MSGR / SPEED POST)
MOST - URGENT RTI MATTER

CHIEF MINISTER OFFICE
(Government of NCT of Delhi)
RTI Cell, A-315, 3rd Level, Delhi Secretariat, New Delhi-110002

No.F.1/CM/RTI/2017/ID-952/44920

Dated: 4.8.2017

9505
डायरी संख्या ...संयुक्त पु.आ., प्रशा.
07/08/17

To

1. Addl. Commissioner of Police (Admn.) / PIO,
   Delhi Police Headquarters,
   I.P. Estate, New Delhi – 110002
2. Public Information Officer,
   Prisons HQ, Central Jail, Tihar, New Delhi.

Sub: Transfer of Application of Sh. Mukesh Saini, 40, Bhogal Lane, Bhogal, New Delhi-110014 under section 6(3) of the RTI Act.

Sir/Madam,

An application under the RTI Act, 2005 has been received in this office on 3.8.2017 from Sh. Mukesh Saini, 40, Bhogal Lane, Bhogal, New Delhi-110014.

Since the requested information does not pertain or held by this office and is closely connected with your office, the instant application in original is hereby transferred u/s 6(3) of the RTI Act, 2005 for necessary action. In case, the information does not fall under your jurisdiction, it may be further transferred directly to the Public Authority to which the subject matter is closely connected directly under intimation to the applicant.

The applicant has deposited the fees vide IPO NO.38F 212014.

Dy. Secretary (RTI) / P.I.O

Encl: As above

Copy to Sh. Mukesh Saini, 40, Bhogal Lane, Bhogal, New Delhi-110014. ***The information sought by you is not held by this office.***

You are requested to approach the above mentioned departments in case of non-receipt/not satisfied with the information provided under the RTI Act, 2005.

Speed Post
2/8/2017

सेवा मे,

श्रीमान जनसम्पर्क अधिकारी
मुख्यमंत्री कार्यालय
दिल्ली सरकार
नई दिल्ली 110002

- D.P.
- Delhi [illegible]

ID No: 952
Cmo
38 F 2/201

महोदय

विषय :- कृपया सूचना के अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध करवाये।

निवेदन इस प्रकार है कि दिल्ली मे आपके अधीन कुछ ~~[illegible]~~ कोर्ट कार्य व है और प्रतिदिन केसो की सुनवाई के लिए विभिन्न जेलो से अपराधी भी लाये जाते है। सुबह ही इन कैदियो को लाकर कोर्ट मे बनी हुई बैरक मे बन्द कर दिया जाता है। इन बैरक मे लाकर रखे गए कैदियो के साथ अमा व्यवहार किया जाता है। इनको जो खाना दिया जाता है वह इतना घटिया होता है कि उसे खाना सम्भव भी नही होता है। कोर्ट से वापिस जेल मे यह सब कैदी शाम और कभी-कभी रात तक ही पहुंचते है। मेरे कुछ प्रश्न इसी से सम्बधित है।

(1) कृपया बताये कि कोर्ट मे बनी हुई बैरक जिन्हे खाडा कहा जाता है, उन मे आये हुए कैदियो के लिए भोजन की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है

(2) क्या इन कैदियो को दिया जाने वाला भोजन पौष्टिक होता है? इसकी जांच किसके द्वारा की जाती है?

(3) प्रशासन द्वारा इन कैदियों पर प्रत्येक पर कितना खर्चा प्रशासन के द्वारा किया जाता है?

(4) कृपया बताये कि इन कैदियो को दिया जाने वाले भोजन की पिछले वर्षो मे कितनी बार की गई है? और किसके द्वारा की गई है?

(5) कृपया बताये कि इन कैदियो को दिया जाने वाला भोजन और उसकी बाहर की Agency से कराना सम्भव है?

(6) समय पर जानकारी प्राप्त न होने पर किस अधिकारी से सम्पर्क जाना है।

D.S.R.T.
4499/CMO
3/8/2017

धन्यवाद

RTI Fees 10/-
Postalorder No. = 38 F 2/2014
Date = 02/08/2017

भवदीय,
मुकेश सैनी [signature]
40, भोगल लेन भोगल
नई दिल्ली